न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 20/2019/अपील

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय भारीजा, जरिये अध्यक्ष विघालय विकास एवं प्रबन्धन बालूराम गुर्जर पुत्र श्री नन्दाराम जाति गुर्जर निवासी भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अपीलान्ट

ब ना म

1. तहसीलदार तहसील कार्यालय दांतारामगढ जिला सीकर।

—रेस्पोडेंन्ट

अपील दुरस्त किये जाने नक्शे में तरमीम धारा 136 आर.एल.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री रेखराज पारीक वकील अपीलांन्ट की ओर सें।

निर्णय दिनांक— 13.12.2019

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि राज. उच्च माध्यमिक विघालय भारीजा को खेल मैदान हेतु जिला कलेक्टर सीकर के आदेश कमांक एफ 3(14) शि.अ.म./भू आ. रिजस्टर 05 तहसीलदार दांतारामगढ की प्रस्तावना दिनांक 24.12.2004 उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ की प्रस्तावना दिनांक 07.02.2005 के अनुसार एवं राजस्व (ग्रप 6) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.05.1993 एवं राजस्व ग्रुप 6 विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक प—6 (10) राजस्थान 6/99/10 दिनांक 05.10.2001 के अनुसरण में ग्राम भारीजा तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 658 रकबा 26.57 हैक्टर किस्म चारागाह में सें 1.44 है0 भूमि को चारागाह से पृथक की जाकर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

सिवाय चक घोषित की गयी (राज0 भू राजस्व स्कूलों, कॉलेजो, चिकित्सालयों धर्मशानाओं एवं अन्य सार्वजनिक) उपयोग के भवन निर्माण कार्य आना विवादित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन नियम 1963 के अन्तर्गत निम्न शर्तो पर ग्राम भारीजा तहसील दांतारामगढ की कृषि भूमि खसरा नम्बर 658 रकबा 26.57 है0 भूमि किस्त चारागाह में से 1.44 है0 भूमि को चारागाह सें पृथक कर सिवाय चक की गई है जो राज0 उच्च माध्यमिक विद्यालय भारीजा को खेल मैदान हेतु आवंटन करने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की गई तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेश दिया कि पहले नामांतरण संलग्न नक्शा ट्रेस में बेरंग दर्शित रेखांकित भूमि आवंटन की गई भूमि का नामांतरण खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें तथा आवंटित भूमि का कब्जा संबंधित को संभलाया जावे। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 08.04.2005 को तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा नामांतरण संख्या 247 राज0 उच्च माध्यमिक विद्यालय भारीजा को खेल मैदान हेतु आवंटन की स्वीकृति के आधार पर भरना चाहिए था परन्तु तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा आदेश की पालना न कर मनमर्जी सें राज0 उच्च माध्यमिक विद्यालय भारीजा के नाम सें भर दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर उक्त नामांतरण को माननीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर के यहां अपील करने पर माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 22.10.2019 को अपील स्वीकार कर तहसीलदार दांतारामगढ को अपीलाधीन नामांतरण संख्या 247 दिनांक 08.04.2005 जो कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय भारीजा के नाम सें तस्दीक किया हुआ है, के स्थान पर राज0 उच्च माध्यमिक विद्यालय भारीजा के खेल मैदान हेतु संशोधन किये जाने हेतु आदेश किया गया परन्तु तरमीम में अगर कोई त्रुटि नहीं है या आवंटन आदेश सें भिन्न रूप सें नक्शे में तरमीम यदि की गई है तो अप्रार्थी/तहसीलदार संबंधित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश कर नियमानुसार संशोधन हेतु निवेदन कर सकते है। अतः संशोधन का आवेदन पेश कर निवेदन किया गया कि कार्यालय जिला कलक्टर सीकर के आदेश सें आवंटि भूमि का नामांतरण

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

तो माननीय अपर जिला कलक्टर महोदय सीकर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.10.2019 को संशोधित किया गया परन्तु आवंटन आदेश के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित स्थान पर तहसीलदार द्वारा नक्शे में तरमीम नहीं कर अन्य असुविधा जन स्थान पर तरमीम की गई जो पुनः आवंटित जगह पर तरमीम के आदेश दिया जाना प्रार्थनीय है। वर्ष 2016 में पटवारी के पास उपलब्ध नक्शे में तरमीम नहीं होने सें पटवारी हल्का के प्रस्ताव के आधार पर की गई लेकिन भू0अ0नि0 की जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त तरमीम की गई वह विद्यालय भवन सें दूर एवं सही जगह पर नहीं है तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित जगह पर तरमीम न कर अन्य असुविधाजनक तरमीम की गई इस कारण आवंटित तगह तरमीम के आदेश फरमाया जावे। अतः अपील पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर सीकर के आदेश दिनांक 24.12.2004 सें आवंटित भूमि के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित स्थान पर तरमीम करवाई जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर सें रिपोर्ट पेश की गई। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा की गई तरमीम को निरस्त कर माननीय जिला कलक्टर महोदय सीकर के आदेश दिनांक 24.12.2004 सें आवंटित भूमि के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित स्थान पर तरमीम की जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

3. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया गया कि "खसर नम्बर 658/1 रकबा 1.44 है किस्म गैरमुमकिन खैल मैदान की तरमीम जो कि आवंटन के समय प्रस्तावित तरमीम 0.50 है0 की थी एवं तहसील के आदेश क्रमांक/भू0अ0/16/1208–09 दिनांक 23.07.2016 के आदेशानुसार की गई तरमीम प्रस्तावित आवंटित सें भिन्न है। आदेश के साथ संलग्न नक्शा 0.50 है0 का होने से इसी खसरा पर इसी स्थान पर नक्शा 1.44 है0 की तरमीम बढाकर संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शे एवं लाल स्याही सें प्रस्तावित तरमीम शुद्धि के

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

प्रस्ताव भिजवाये जा रहे है। प्रस्तावित संशोधित तरमीम बाबत रिपोर्ट प्रेषित है।" तहसीलदार रिपोर्ट, माननीय जिला कलक्टर महोदय सीकर के आवंटन आदेश तथा माननीय अपर जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 22.10.2019 के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 247 दिनांक 08.04.2005 निरस्त करते हुए खसरा नम्बर 658/1 की तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर के आदेश दिनांक 24.12.2004 सें आवंटित भूमि के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित स्थान पर तरमीम कर पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुनार होकर नम्बर सें कम व दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner